न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/डिक्री/टी.ए./569/2004/बाडमेर

1– कुम्भाराम पुत्र आईदानराम
2– राणाराम पुत्र आईदानराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी धर्मपुरा (मेहलू) तहसील गुडामलानी जिला बाडमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– भूराराम पुत्र खेमाराम जाति कुम्हार निवासी धर्मपुरा (मेहलू) तहसील गुडामलानी जिला बाडमेर
2– राजस्थान सरकारक जरिये तहसीलदार बाडमेर तहसील गुडामालानी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीतसिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 20–04–2022

अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील संख्या–48/2003 बउनवानी कुम्भाराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, गुढामालानी मुख्यालय बाडमेर के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 18बीघा 01बिस्वा वाकै ग्राम धर्मपुरा बाबत् अपीलार्थीगण कुम्भाराम वगैराह ने एक राजस्व वाद संख्या 280/2001 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 91 व 188 के अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। इसी विवादित आराजी

बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 भूराराम ने भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 143/2001 बाबत् घोषणा एवं बंटवारे का प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा दोनों वादों को समेकित किये जाने के आदेश दिनांक 30–10–2002 को पारित करने के उपरान्त मूल वाद में अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर वादी भूराराम के वाद में निर्णय दिनांक 2–8–2003 से प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार, गुढामालानी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में दो अपीले संख्या 48/2003 एवं 68/2003 प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद संख्या–280/2001 और 143/2001 को समेकिन किया गया था और दोनों दावों की एक ही डिक्री बनी थी। वाद संख्या–143/2001 को डिक्री किया गया था लेकिन वाद संख्या 280/2001 में न तो कोई तनकी बनी थी और ना ही निर्णय किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के यहां अपील पेश की गयी थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दू पर गौर नहीं किया गया है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गयी थी अथवा पृथक स्वतन्त्र आय से क्रय की गयी थी। ना ही इस बिन्दू पर कोई तनकी बनी थी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और भूरा के पिता खेमा के हक में 3/4 हिस्सा और अन्य के हक में 1/4 हिस्सा विक्रयपत्र के अनुसार ही दर्ज कर दिया जबकि वास्तव में आईदान के तीनों पुत्र प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। जब वाद संख्या 280/2001 का निर्णय ही नहीं हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिए था। नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी गयी है जिसमें तीनों के नाम खातेदारी दर्ज है और खेमाराम ने इस तथ्य को अपने बयानों में स्वीकार भी किया है और दो वादों की एक डिक्री बनती है वहां एक ही अपील होगी। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावे और अपीलार्थी का वाद संख्या 280/2001 डिक्री किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये –

1. 1961 आईएलआर पेज 1173
2. 2003 आरएलडब्ल्यू पार्ट III राज. पेज 1891

3. 2007 आरएलडब्ल्यू आरजे–ा पेज 443
4. 2010 आरबीजे पेज 370

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 18बीघा 01बिस्वा दिनांक 11–12–1963 को क्रय की गयी थी जिसमें 3/4 हिस्सा वादी के पिता खेमाराम का और 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का था और संयुक्त रूप से नामान्तरकरण भरा गया था। विक्रयपत्र में वादी का 3/4 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का 1/4 हिस्सा होने से विक्रयपत्र के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी और प्रतिवादी द्वारा लिये गये उज्र के बारे में कि उनका 1/3 –1/3 हिस्सा है, अस्वीकार किया गया और उक्त तनकी संख्या–3 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क है कि वाद संख्या–280/2001 का निर्णय नही हुआ, यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि जब दोनों वादों को संयुक्त रूप से विचारण करने हेतु समेकित किया और विवाघक कायम किये जाकर प्रत्येक विवाघक पर निर्णय किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय दोनों ही वादों पर प्रभावी एवं बाध्यकारी है और दोनों ही वादों में निर्णय की एक एक प्रति लगाई गयी।

7– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क यह है कि क्रय की गयी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गयी थी इसलिए प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–3 पर विस्तृत विवेचन करते हुए 1/3 – 1/3 हिस्सा नहीं मानकर पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर 3/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा होने के आधार पर ही हिस्से तय किये गये है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का एक तर्क यह है कि खेमाराम ने चालाकी से अपने नाम करवा लिया लेकिन उक्त तर्क बलहीन है क्योंकि जब विक्रयपत्र मौजूदा स्वरूप में है तो उसमें वर्णित तथ्यों को ही माना जावेगा। दीवानी न्यायालय से उक्त विक्रयपत्र को दुरूस्त नहीं करवाया गया है और इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय ही सक्षम है राजस्व न्यायालय विक्रयपत्र को बातिल व शून्य घोषित करने में सक्षम नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। विवादग्रस्त सम्पत्ति खेमाराम, कुम्भाराम व राणाराम ने संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गयी हो ऐसा साबित नहीं पाया है और जहां अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हो वहां तथ्यों के अनुसार हस्तक्षेप का आधार नहीं रहता है। ऐसा कोई कानूनी बिन्दू भी नहीं है, जिसके आधार पर निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकें। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा एक न्यायिक दृष्टान्त 2003 आरएलडब्ल्यू पार्ट–ाा राज. पेज 1891 पेश किया गया है जिसमें आयकर के प्रावधानों के तहत आय की गणना करने के सम्बन्ध में है लेकिन

मौजूदा वाद तो मात्र विक्रयपत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा का है। मौजूदा प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्ट से पूर्णतया भिन्न होने से अपीलार्थी को उनसे कोई मदद नहीं मिलती है।

11– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने एक तर्क यह भी किया है कि फोटो कापी साक्ष्य में ग्रहण नहीं है व इस तर्क के समर्थन में 2007 आरएलडब्ल्यू आरजे–1 पेज 443 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है जिसका ससम्मान अवलोकन किया। मौजूदा प्रकरण विक्रयपत्र दिनांक 12–11–1963 प्रदर्श–2 के रूप में प्रदर्शित हुआ है। इस विक्रयपत्र को दोनों पक्ष मानते है, अर्थात् स्वीकृत दस्तावेज है और जब कोई दस्तावेज साक्ष्य के दौरान आपत्ति के बिना प्रदर्शित हो जाता है तो उसके पश्चात् उस पर आपत्ति नहीं ली जा सकती और जमाबन्दी प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति है। इसलिए अपीलार्थी अधिवक्ता की उक्त आपत्ति सारहीन है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

12– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील संख्या 48/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी मुख्यालय बाडमेर द्वारा वाद संख्या 143/2001 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 2–8–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य